:: कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक यातायात जबलपुर ::

क्रमांक – उपुअ/याता/जबल/338 /2024 दिनांक – 13/07/2024

प्रति,

जिला शिक्षाधिकारी
जिला जबलपुर

विषय – स्कूल/कॉलेजो एवं कोचिंग संस्थानों मे पढने वाले बच्चों के आवागमन के साधनों मे लापरवाही के कारण घटित सडक दुघर्टनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशें का पालन किये जाने के संबंध मे।

उपरोक्त विषयांकित पत्र के माध्यम से लेख है कि हाल ही मे प्रदेश मे बस सडक दुघर्टना मे तथा म0प्र0 मे अन्य जिलो मे स्कूल मे पढने वाले बच्चों के वाहन दुघर्टनाग्रस्त हुये है। जिसमे पूर्व मे भी प्रदेश मे स्कूल एवं कोचिग/कॉलेज मे पढने वाले बच्चों के आवागमन के साधनो मे लापरवाहियों के कारण प्रदेश मे घटित होने वाली सडक दुघर्टनाओं की रोकथाम के लिये पूर्व मे निर्देश जारी किये गये है। जिन्हे पुनः अमल मे लाये जाने हेतु कडाई से पालन किये जाना आवश्यक है। चूंकि वर्तमान मे सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान अपने पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रहे है।

अतः सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्देशें को अभिभावक/पालक की मीटिग मे अवगत करावे कि स्कूली छात्र छात्राओं को लाने जे जाने वाले वाहन /वाहन चालक दिये गये निर्देशें का पालन सुनिश्चित करे। उक्त संबंध मे आपके स्तर पर निर्देशें का पालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त स्कूलो को निम्नांकित निर्देशें को जारी किया जाना सुनिश्चित करावे। ताकि सडक दुघर्टनाओं से बचा जा सके।

1–स्कूलों मे समस्त स्कूली बसों/प्राईवेट वेन, बसें मैजिक, एवं अन्य वाहन जो बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का कार्य कर रहे है उनकी जॉच एवं उनके दस्तावेज पूर्ण हो इसकी जानकारी संबंधित स्कूल मे दर्ज होवे।

2–दस्तावेजों की कमी होने पर वैधानिक कार्यवाही हेतु यातायात पुलिस को अवगत कराते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

3–बसों मे सीसीटीव्हीकैमरे, दो दरवाजे, स्पीड गर्वनर, फर्स्टएड वाक्स, फायर एस्टिंगयुसर एवं फिटनिस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से होना चाहिये।

4–स्कूली बसों मे बच्चों के लिये अटेन्डर अनिवार्य रूप से होना चाहिये। यह निर्देश आपके द्वारा सभी स्कूलों को दिये जावे।

5–बसों के ड्राईवर/कंडक्टर/अटेन्डर, का पुलिस वैरिफिकेशन कराकर उनके दस्तावेजों का संघारण करना स्कूलों की जिम्मेदारी होगी। यह निर्देश भी आपके द्वारा सभी स्कूलों को दिये जावे।

6–बच्चों के स्कूल आवागमन हेतु प्राईवेट वाहन/वेन/मैजिक/अन्य साधनों मे संलग्न ड्राईवर/अटेन्डरों का भी पुलिस वैरीफिकेशन कराकर उनके रिकार्डो का संधारण करना स्कूल की जिम्मेदारी होगी यह निर्देश भी आपके द्वारा स्कूलों को दिये जावे।

7–बच्चों के स्कूल हेतु आवागमन के सभी वाहनों का संचालन अवैध रूप से लगी हुई गैस किट से न हो यह सुनिश्चित किया जावे। यदि कोई वाहन अनाधिकृत रूप से परिवहन करता पाया जावेगा तब उन वाहनों पर यातायात पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

8– स्कूल संचालक यह भी सुनिश्चित करें कि स्कूल/कॉलेजों के सामने जेब्रा कासिग/स्पीड ब्रेकर एवं साईन बोर्ड आदि लगे एवं यातायात व्यवस्थाओं /नियमों का पालन करे।

9–अभिभावकों द्वारा स्वंय के वाहनों से बच्चो को स्कूल/कोचिंग आवागमन करने हेतु जिम्मेदारी तय करने के लिये अभिभावकों से स्वघोषणा पत्र भरवाया जावे।

① मान्यता
② विद्या

13.7.24
उप पुलिस अधीक्षक
यातायात जबलपुर
9479993879

प्रतिलिपि –

1.पुलिस अधीक्षक जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

2.अति0 पुलिस अधीक्षक यातायात जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।

3–थाना प्रभारी यातायात (मालचौक) जबलपुर की ओर अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले विद्यालयों मे यातायात नियमों के प्रचार प्रसार व स्कूली छात्र छात्राओं के लाने ले जाने वाले वाहनों की चैकिग/कमी पाये जाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने बाबत।

उप पुलिस अधीक्षक
यातायात जबलपुर

Traffic Department